कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 550 दिनांकः– 21/12/2023

–:कार्यवाही विवरण:–

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की 36/2023 वीं बैठक दिनांक 21.12.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है। बैठक के दौरान जोन–6 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

एजेण्डा

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की जोन–6 की 30/2023 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णयः– **समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत सर्व–सम्मति से गत बैठक दिनांक 04.10.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 01 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.12.2023	जोन–6	आंगणवा	98	159.13 बीघा में से 63.00 बीघा	*व्यवसायिक प्रयोजनार्थ*
आवेदक	प्राधिकरण की व्यवसायिक योजना				
विषयः–	**प्राधिकरण के स्वामित्व की राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 कुल रकबा 159.13 बीघा में से 63.00 बीघा भूमि में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित व्यवसायिक प्रयोजनार्थ योजना में संशोधन किये जाने के संबंध में।**				
निर्णयः–	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. प्रकरण को पूर्व में बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 24.08.2022 में रखा जाकर सशर्त अनुमोदित किए जाने का निर्णय लिया गया। 2. उक्त निर्णय के कम में प्रकरण को सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को दिनांक 01.11.2022 (पृष्ठ संख्या 129) को प्रेषित किया गया जिसके कम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.03.2023 (पृष्ठ संख्या 147) को सक्षम स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात् प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.03.2023 (पृष्ठ संख्या 143) को आरक्षित दर में रियायत देने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया जिसके कम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.04.2023 (पृष्ठ संख्या 159) को सचिव जोविप्रा जोधपुर की सक्षम अधिकारिता की बैठक में निर्णय लिया जाकर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने बाबत् निर्देशित किया गया। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 28.04.2023 के कम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.06.2023 (पृष्ठ संख्या 148) को कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.04.2023 के निर्णय अनुसार आरक्षित दर का पुनः निर्धारण करते हुए 24000/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दर पर आंवटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को पुनः पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के कम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.08.2023 (पृष्ठ संख्या 177) को स्वीकृति प्रदान की गयी। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.07.2023 (पृष्ठ संख्या 176) व 12.09.2023 (पृष्ठ संख्या 178) को श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ तथा श्रीमान् राजेन्द्र सिंह सोलंकी, अध्यक्ष राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र अनुसार कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2023 के निर्णय के कम में राज्य सरकार को आरक्षित दर में 25 प्रतिशत की शिथिलता की स्वीकृति हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया गया, जिसके कम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.2023 (पृष्ठ संख्या 180) को आरक्षित दर में 25 प्रतिशत शिथिलता देकर आरक्षित दर के 75 प्रतिशत दर पर आंवटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 3. प्रकरण में जोन उपायुक्त द्वारा की गयी टिप्पणी अनुसार वस्त्र व्यापार संघ द्वारा दुकानों के माप को 4x9 मीटर के स्थान पर 4.5x9 मीटर किए जाने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त सुझाव पर				

	विचार करते हुए आयोजना शाखा द्वारा पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में संशोधन का प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया गया है। **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ द्वारा दुकानों के माप (4.5X9 मीटर) के संबंध में आयोजना शाखा द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत संशोधित योजना मानचित्र को अनुमोदित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में पूर्व में प्राधिकरण की बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 24.08.2022 अनुसार शेष शर्ते यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 551-556 **दिनांकः–** 21/12/2023
प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन–6), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक (जोन–6), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

<u>परिशिष्ट–"1"</u>

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की 36/2023 वीं बैठक दिनांक 21.12.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। — अध्यक्ष
2. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
5. श्री श्रवण विश्नोई, उपायुक्त (जोन–6) जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य सचिव
7. श्री मदन लाल सुथार, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर